न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 – 48/2018

उनवान : –

1. बजरंग पुत्र जेठाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र जेठाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. बनवारी पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा। मृतक

1/1 सरोज पुत्री स्व0 बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।

1/2 निर्मला देवी पुत्री स्व0 बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।

1/3 जगनाराम पुत्र स्व0 बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।

1/4 गायत्री देवी पुत्री स्व0 बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाना तहसील भादरा।

–असल अप्रार्थीगण

2. विनोद कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. मोहनलाल पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. एसबीआई शाखा मूर्ति चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :–श्री विक्रम शर्मा प्रार्थी
श्री प्रभूराम गोदारा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 30.11.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 डीपीएन के खाता सं0 94/91 के मु0 न0 14 के किला न0 21, मु0 न0 15 किला न0 25, मु0 न0 24 किला न0 5 व 6, मु न0 25 किला न0 11, 20, 21, मु0 न0 40 किला न0 1, मु0 न0 41 किला न0 5, 6 कुल 2.530है0 नहरी बारानी मय खाला, रास्ता की खातेदारी प्रार्थी महावीर के नाम व इसी प्रकार रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 72/68 के मु0 न0 25 किला न0 1, 2, 9, 10, 12, 19, मु0 न0 40 किला न0 2, 9, 10 कुल 2.530है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता प्रार्थी बजरंग के नाम से व रोही चक 2 [illegible] खाता सं0 143/138 के मु0 न0 40 किला न0 11 व 12, मु0 न0 41 किला न0 7, 14 [illegible] कुल 1.265है0 कृषि भूमि तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थीगण चक 2 डीपीएन के खाता सं0 [illegible]/71 के मु0 न0 14 के किला न0 16 ता 18, 22 ता 25, मु0 न0 25 किला न0 3 ता 8, [illegible]3 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 40 किला न0 3 ता 8, 13, 14 कुल 7.590है0 नहरी बारानी [illegible]य खाला अप्रार्थी बनवारी के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी चक 2 डीपीएन के मु0 न0 24 के किला न0 6 में प्रवेश करने के लिए मु0 न0 40 के किला न0 9 व 10 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 12 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण तथा किला न0 13 में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ व किला न0 14 में दक्षिणी पश्चिमी कोना से होते हुए किला न0 17 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर आगे के काश्तकार भी इसी रास्ता से आवागमन करते हैं परंतु बीच में चक 2 डीपीएन मु0 न0 40 किला न0 13 व 14 के दक्षिणी पश्चिमी कोना में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं होने के चलते अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता अवरूद्व करने की धमकी दे रहे है तथा प्रार्थी एवं आगे के काश्तकारान को उक्त रास्ता से आवागमन मे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए है। अतः प्रार्थी उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 बनवारी की दौराने दावा मृत्यु होने के कारण उनके विधिक वारिसान को पत्रावली में पक्षकार बनाया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के जायज वारिसान द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 तरतीबी अप्रार्थीगण की ओर से वकील द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा चक 2 डीपीएन के खाता सं0 94/91 के मु0 न0 14 के किला न0 21, मु0 न0 15 किला न0 25, मु0 न0 24 किला न0 5 व 6, मु न0 25 किला न0 11, 20, 21, मु0 न0 40 किला न0 1, मु0 न0 41 किला न0 5, 6 कुल 2.530है0 नहरी बारानी मय खाला, रास्ता की खातेदारी प्रार्थी महावीर के नाम व इसी प्रकार रोही चक 2 डीपीएन के खाता सं0 72/68 के मु0 न0 25 किला न0 1, 2, 9, 10, 12, 19, मु0 न0 40 किला न0 2, 9, [illegible] है0 नहरी बारानी मय खाला रास्ता प्रार्थी बजरंग के नाम से राजस्व रिका[illegible] द[illegible] में प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी [illegible] मु0 न0 40 [illegible] किला न0 9 व 10 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 12 में पूर्वी तरफ [illegible] दक्षिण तथा किला न0 13 में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ व किला न0 [illegible] में दक्षिणी पश्चिमी कोना से होते हुए किला न0 17 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर आगे के काश्तकार भी इसी रास्ता

(राजस्व, हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से आवागमन करते हैं परंतु बीच में चक 2 डीपीएन मु0 न0 40 किला न0 13 व 14 के दक्षिणी पश्चिमी कोना से होकर आगे के काश्तकार भी इसी रास्ता से आवागमन करते हैं इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी बनवारी की खातेदारी चक 2 डीपीएन के मु0 न0 40 के किला न0 13 में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 फीट लम्बाई एवं 8–1/4 फीट चौडाई तथा किला न0 14 में दक्षिणी पूर्वी कोना पर 8–1/4 गुणा 8–1/4 फीट के उक्त रास्ता के लिए निवेदन किया व प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है जो तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट से साबित है। इस हेतु रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण ने डीएलसी दर अनुसार राशि का मुआवजा लिया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी बनवारी की खातेदारी चक 2 डीपीएन के मु0 न0 40 के किला न0 13 में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 फीट लम्बाई एवं 8–1/4 फीट चौडाई तथा किला न0 14 में दक्षिणी पूर्वी कोना पर 8–1/4 गुणा 8–1/4 फीट रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30-11-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़)

(हस्ताक्षर)
(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Note
16/3/23

निर्णय दिनांक 30-11-22 में वर्णित रास्ता स्वीकृति किला न० 14 में दक्षिणी [illegible] कोना की बजाय उक्त रास्ता किला [illegible] कोना पढ़ा [illegible] दक्षिणी पश्चिमी रास्ता का [illegible] आदेश [illegible]।

(हस्ताक्षर)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner